

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ1(242)स्था/निकाशि/84/549

दिनांक: 6.6.11


परिपत्र

समस्त प्राचार्य,  
राजकीय महाविद्यालय/राजकीय कन्या महाविद्यालय/  
विधि महाविद्यालय, राजस्थान/राजस्थान संगीत संस्थान/  
स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर।

विषय: नियमानुसार चार माह तक का विभिन्न अवकाश स्वीकृत करने  
के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्राचार्य अपने अधीनस्थ कार्यरत  
व्याख्याता/कार्मिक का 30 दिवस से अधिक अवधि का अवकाश स्वीकृति  
हेतु प्रकरण निदेशालय को भिजवाते हैं।

राजस्थान सेवा नियम (द्वितीय खण्ड) के परिशिष्ट ix के आईटम  
संख्या-22 के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष को राजपत्रित अधिकारियों के चार माह  
का अवकाश स्वीकृत करने हेतु अधिकृत किया हुआ है। अतः नियमानुसार  
अपने अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के चार माह तक की  
अवधि के अवकाश स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण अपने स्तर पर  
करें।

  
निदेशक  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,  
जयपुर।